भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

23.07.2015 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 325

परमाणु संयंत्रों की संरक्षा और सुरक्षा

325. **डा. वी. मैत्रेयन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार ने हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एनपीसीआईएल और विभाग की सभी नाभिकीय/परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया है;**

(ख) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत पाँच वर्षों में देश में अब तक शुरु की गई परमाणु/नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं की सूची क्या है और अब तक उन्हें कितनी धनराशि आबंटित की गई है;**

(ग) **क्या एन पी सी आई एल और ए ई आर बी की देश में सभी नाभिकीय/परमाणु ऊर्जा संयंत्रों हेतु सुरक्षा और निगरानी के लिए पेरीमीटर डिटेक्शन साल्युशन्स, सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक सर्वेलेंस गैजेट्स तथा निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु कोई निधि आबंटित करने की योजना है; और**

(घ) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) **जी, हाँ। भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र को परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। परियोजना के विभिन्न चरणों में अनुमति पदान करने से पूर्व परमाणु नियामक परिषद द्वारा नाभिकीय संरक्षा एवं सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की जाती है।**

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षा आवश्यकता हेतु नियम एवं मार्गदर्शिका बनाई गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की, आवधिक नियामक निरीक्षण के अतिरिक्त, बहु-चरणीय समीक्षा के माध्यम से, परमाणु विद्युत परियोजनाओं के नाभिकीय संरक्षा एवं सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा हेतु सख्त प्रक्रिया है।

(ख) **एनपीसीएल के सभी नाभिकीय विद्युत प्लांट तथा कार्यस्थल पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण तथा सुरक्षा उपाय किये गये हैं। संचालित तथा निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत संयत्रों की सूची नीचे दी गई है :**

संचालित रिएक्टर

अवस्थिति तथा राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
तारापुर, महाराष्ट्र	टीएपीएस-1	160
	टीएपीएस -2	160
	टीएपीएस -3	540
	टीएपीएस -4	540
रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीएस-1*	100
	आरएपीएस-2	200
	आरएपीपी-3	220
	आरएपीएस-4	220
	आरएपीएस-5	220
	आरएपीएस-6	220

कलपाक्कम, तमिलनाडु	एमएपीएस-1	220
	एमएपीएस-2	220
नरोरा, उत्तर प्रदेश	एनएपीएस-1	220
	एनएपीएस-2	220
ककरापार, गुज़रात	केएपीएस-1	220
	केएपीएस-2	220
कैगा, कर्नाटक	केजीएस-1	220
	केजीएस-2	220
	केजीएस-3	220
	केजीएस-4	220
कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-1	1000

* विस्तृत शटडाउन की स्थिति में

प्रारंभिक/निर्माणाधीन रिएक्टर

अवस्थिति तथा राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-2*	1000
रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीएस-7	700
	आरएपीएस-8	700
ककरापार, गुज़रात	केएपीएस-3	700
	केएपीएस-4	700

*कमीशनिंग की स्थिति में

विगत पाँच वर्षों में इस मद में आबंटित कुल राशि लगभग 225 करोड़ रुपए है।

(ग) तथा (घ) जी, हाँ। नाभिकीय विद्युत संयंत्र कार्यस्थल पर विभिन्न निरीक्षण उपस्करों के अधिष्ठापन, अद्यतन एवं रख-रखाव तथा अन्य सुरक्षा उपायों हेतु पर्याप्त राशि आबंटित किए गए हैं।

******